न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी एवम् सहायक कलक्टर, रानी, जिला–पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी–रवि कांत सिंह (**R.A.S.**)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 55 / 2018

तारीख फैसला–26/04/2022

प्रार्थीगण :–

1. – पूनमसिंह पुत्र लालसिंहजी

2 – बाबुसिंह पुत्र लालसिंहजी

3– मृत शंकरसिंह पुत्र लालसिंहजी के वैध कायममुकामात –

3/1– सरस्वतीदेवी पत्नी स्व. शंकरसिंहजी
3/2– सुरेन्दसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंहजी
3/3– श्रवणसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंहजी
3/4– सरोज पुत्री स्व. शंकरसिंहजी
3/5– उमा पुत्री स्व. शंकरसिंहजी

जातिगण–राजपुरोहित, निवासीगण–चाचौडी, तहसील–रानी, जिला–पाली (राज.)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1– रामसिंह पुत्र चमनसिंहजी,
2– घीसूसिंह पुत्र चमनसिंहजी,
3– भबुतसिंह पुत्र चमनसिंहजी
4– गणपतसिंह पुत्र चमनसिंहजी लाऔलाद फौत
जातिगण– राव, निवासीगण– चाचौडी, तहसील– रानी, जिला पाली
5– शंकरसिंह पुत्र देवीसिंहजी
6–भीखसिंह पुत्र कालुसिंहजी,
7– शंकरसिंह पुत्र कालुसिंहजी
जातिगण–राजपुरोहित, निवासीगण–चाचौडी, तहसील–रानी,जिला पाली
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 02 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

शेष पेज नम्बर –02 पर

उपस्थिति :-

1- श्री विजय राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2- श्री राजेन्द्र गौतम, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से।
3- श्री अमित कुमार श्रीमाली, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 5 से 7 की ओर से।
4- सरकारी पैरोकार अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से।

-: निर्णय :- दिनांक-26/04/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व सपठित धारा-151 सी. पी. सी. के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम-चांचौडी, पटवार हल्का-चांचौडी, तहसील-रानी, जिला-पाली (राज.) के खसरा नम्बर-95 रकबा 10 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 96 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा किस्म चाही, गत खसरा नम्बर 413/1, 413 व 412 जिसमें 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रार्थी संख्या दो व तीन के नाम दर्ज है। तथा 1/2 हिस्से की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या पांच से लगायत सात के नाम खातेदारी की है। जो वादग्रस्त आराजी है। खतौनी बन्दोबस्त संवत 2009 से 2028 मे दर्ज इन्द्राज अनुसार वादग्रस्त आराजी भूमि देवीसिंह, वनेसिंह, कालुसिंह, प्रेमसिंह पिसरान शंभूसिंह 1/2, मनरूपसिंह वल्द भबुतसिंह 1/2 कौम पुरोहित के मालिकाना, खुदकाश्त की थी। उपरोक्त भूमि जागीरी रिजम्शन एक्ट 1952 के प्रभाव मे आने के दिन उपरोक्तानुसार देवीसिंह वगैरह भोक्ता अर्थात मालिक के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थे और तत्समय तैयार राजस्व रेकर्ड मे खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 4 मे खुदकाश्त के बाद केसा व समना, हेमा पिसरान भेरा कौम राव का नाम दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त केसा वगैरह के न तो मालिकाना रही है, नही कब्जे व काश्त की रही है बल्कि उपरोक्त इन्द्राज अनुसार देवीसिंह वगैरह की खुदकाश्त होने से उक्त अधिनियम 1952 के धारा 09 अनुसार भोक्ता के रूप मे दर्ज देवीसिंह वगैरह स्वतः ही खातेदार हो गए उसी अनुसार बाद मे बनी भूमि एकीकरण खतौनी और उसके पश्चात तैयार की गई जमाबन्दियों मे इन्द्राज दर्ज किया गया। लेकिन खतौनी बन्दोबस्त संवत 2009 के कॉलम संख्या 4 मे दर्ज गलत इन्द्राज के आधार पर

कमशः पेज नम्बर -03 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

केसा, समना व हेमा पिसरान भेरा राव का नाम भी दर्ज कर दिया गया। जो आज दिन तक गलत इन्द्राज के रूप मे चला आ रहा है। वास्तविक रूप से उपरोक्त केसा वगैरह अप्रार्थी संख्या एक से तीन है न तो कभी खातेदार रहे, नही काबिज रहे, नही कोई हिस्सा रहा है। संवत 2009 से लगाकर अब तक के सम्पूर्ण जमाबन्दियों मे वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार देवीसिंह, वनेसिंह, प्रेमसिंह, कालुसिंह पिसरान शंभूसिंह दर्ज है और शेष 1/2 हिस्सा मे मनरूपसिंह पुत्र भबूतसिंह दर्ज है। इस प्रकार कैसा वगैरह के इन्द्राज गलत दर्ज चले आ रहे है जिन्हे हटाने के लिए वाद पेश किया गया है। खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2018 मे भी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त तत्समय देवीसिंह वगैरह का आधे हिस्सा पर और मनरूपसिंह का आधे हिस्से पर काश्त दर्ज है। केसा वगैरह के द्वारा न तो काश्त की जा रही थी नही काश्तकार के रूप मे खसरा गिरदावरी मे नाम दर्ज है।

वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से के खातेदार सर्वप्रथम देवीसिंह, वनेसिंह, कालुसिंह, प्रेमसिंह पिसरान शंभूसिंह थे बाद मे इनकी मृत्यु होने से उनके विधिक वारिशान अप्रार्थी संख्या पांच से सात राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुए है। जिनसे प्रार्थीगण का कोई विवाद नही है।

वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से के खातेदार मनरूपसिंह पुत्र भबूतसिंह ने अपना सम्पूर्ण आधा हिस्सा पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 02.06.1978 अनुसार पूनमसिंह, बाबुसिंह, शंकरसिंह पुत्रगण लालसिंहजी को विकय कर दिया और विकय पत्र का म्यूटेशन संख्या 820 स्वीकृत किया गया। जिस अनुसार वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से के खातेदार काबिज है। राजस्व कर्मचारियों की सदभाविक भूल व लापरवाही से म्यूटेशन मे दर्ज इन्द्राज मे से प्रार्थी संख्या एक पूनमसिंह का नाम दर्ज नही किया जो गलती आगे से आगे राजस्व रेकर्ड मे चलती रही। जिसे सुधारने हेतु वाद पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक से लगायत चार और उनके पूर्वजो के कब्जे काश्त इत्यादि होता तो अवश्य ही उस अनुसार राजस्व रेकर्ड मे उनका हिस्सा दर्ज होता और मौके पर कब्जा काश्त होता। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार का न तो राजस्व रेकर्ड मे हिस्सा दर्ज है नही मौके पर कब्जा काश्त है। वर्तमान मे राज्य सरकार के द्वारा सेग्रीगेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके तहत खातेदार के हिस्से दर्ज किये जा रहे है। पटवारी द्वारा यह कहा गया कि अशुद्ध इन्द्राज को वाद के जरिये सुधार करवा दे नही तो काल्पनिक हिस्सा दर्ज करना पडेगा। अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के द्वारा भी अपने गलत नाम के इन्द्राज का फायदा उठाते हुए

क्रमशः पेज नम्बर —04 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या पांच से सात को धमकी दी कि उनके पूर्वजो का नाम चला आ रहा है जिस कारण से बल जबरी से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लेगे। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण को काश्त नही करने देने की भी धमकी दी।

प्रार्थीगण ने घोषणा व निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया है, जिसमें सफलता मिलने के पूर्ण आसार है। राजस्व रिकार्ड में नाम गलत इन्द्राज होने से अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन जोर जबरदस्ती से प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर सकते है। भूमि का हस्तांतरण कर सकते है। अर्थात मौके व रेकर्ड की स्थिति मे परिवर्तन कर सकते है। यदि ऐसा अप्रार्थीगण करते है तो प्रार्थीगण को अपूरर्णीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा, तब तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन की ओर से जबाव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण ने गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो से इन्कार किया। खतोनी बदौंबस्त संवत 2009 से 2028 में वादग्रस्त भूमि देवीसिंह, वनेसिंह, कालूसिंह, प्रेमसिंह पुत्रगण शंभुसिंह 1/2 हिस्सा, मनरूपचन्द वल्द भभूतसिंह कोम पुरोहित के मालिकाना खुद कास्त कि कभी दर्ज नही रही अपितु डोलीदार के हेसियत से दर्ज थी एवम् खुद कास्त केसा, समना, हेमा पुत्र भेरा कोम राव सा.दे खातेदार के नाम दर्ज थी एवम् मोके पर केसा,समना,हेमा पुत्र भेरा बहेसियत खुद काश्त के काबिज थे यानि उक्त खतोनी बदौंबस्त सम्वत 2009 से 2028 में वादग्रस्त भूमि देवसिहं, वनेसिंह, कालूसिह, प्रेमसिंह, पुत्रगण शंभुसिंह 1/2 व मनरूप पुत्र भभूतसिह 1/2 कौम पुरोहित सा.दे डोलीदार एवम् केसा,समना,हेमा पुत्र भेरा कौम राव देह खातेदार खुद काश्त के रूप में दर्ज थी। जागीर रिजम्शन के समय एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागु होने के समय से एवं पश्चात वादग्रस्त आराजी भूमि पर केसा, समना, हेमा पुत्र भेरा कौम राव का खातेदार खुदकाश्त के रूप मे इनका कब्जा काश्त था। जो कब्जा इनका तब से लगातार चला आ रहा है। जिनसे इनको खातेदारी हक अधिकार प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड मे उक्त खतौनी जमाबन्दी मे भी इन्हें खुदकाश्त सा देह खातेदार सही रूपेण दर्ज किया था। जो वर्तमान मे भी है। वादगरत आराजी मे मनरूपसिंह का 1/4 हिस्सा था जो विकय विलेख मे गलत

क्रमशः पेज नम्बर —05 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

रूपेण वास्तविक 1/4 हिस्सा के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिये जाने से क्रेतागणों (प्रार्थीगणों) का 1/2 हिस्से के हक अधिकार प्राप्त नही हो जाते है। विक्रय विलेख दिनांक 02.6.1978 प्रारम्भ से शून्य है। जिससे उसकी पालना मे भरा गया म्यूटेशन भी सही नही है। राजस्व रेकर्ड मे अशुद्ध इन्द्राज नही किया गया है बल्कि विधिअनुसार ही इन्द्राज किया गया है। राजस्व कर्मचारियों ने कोई गलती नही की है बल्कि नियमानुसार कार्य किया है। प्रार्थी पूनमसिंह का कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राज सही है। अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर सम्वत 2009 से आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का यह कथन कि सेग्रीगेशन प्रोग्राम के दौरान काल्पनिक हिस्सा दर्ज किया गया है पुर्णतः गलत है। सेग्रीगेशन प्रोग्राम के दौरान सरकार द्वारा जमाबंदी में दर्ज प्रत्येक खातेदार के नाम व हिस्सा सही दर्ज किया गया है जो कि पुर्ण जॉच पडताल और भोतिक सत्यापन के बाद राजस्व रेकर्ड में दर्ज है अप्रार्थीगणो का नियम अनुसार 1/4 हिस्सा दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या पाच से सात की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया। प्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी मनरूपसिंह पुत्र भबूतसिंह से रस्टिर्ड बेचान के दिनांक 02.06.1978 को जरिये खरीद करने के तथ्य को स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या एक से तीन का वादग्रस्त आराजी के किसी भाग पर कब्जा काश्त होने से इन्कार किया। अन्त मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जासूद वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा मनरूपसिंह पुत्र भबूतसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.06.1978 को खरीद किया हुआ है। तत्समय से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन व पूर्व मे उनके पूर्वजो का नाम गलत रूप से इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का वादग्रस्त आराजी पर किसी

क्रमशः पेज नम्बर –06 पर

प्रकार से कब्जा काश्त नही है। प्रार्थीगण ने घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेष कर दिया है जो विचाराधीन है। पंजीबद्ध विकय विलेख के जरिये वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से का कब्जा हस्तान्तरण प्रार्थीगण के पक्ष मे हुआ है। तब से अर्थात करीब 44 वर्षो से प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण क पक्ष म है। वर्तमान मे प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार दर्ज है। रजिस्टर्ड विकय विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय मे अप्रार्थीगण के द्वारा प्रशनगत नही किया गया है। दौराने वाद वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी सख्या एक से तीन अपने गलत नाम इन्द्राज होने का गलत फायदा उठाकर के वादग्रस्त आराजी का बेचान कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नहीं किया जा सकेगा। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण के पक्ष रजिस्टर्ड विकय विलेख से कब्जा हस्तान्तरित हुआ है तथा वर्तमान मे भी प्रार्थीगण अपने खरीदसुदा हिस्से पर काबिज काश्त है। इस तरह से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे कुल छः शपथ पत्र ग्राम चांचौडी के निवासियों के पेश किये तथा राजस्व रेकर्ड, पंजीबद्ध विकय विलेख इत्यादि दस्तावेज पेश किये। प्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :-

1- 2020 (2) आर.आर.टी. पेज 1081
2- 2018-19 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 618
3- 2014 (1) आर.आर.टी. पेज 97
4- 2018-19 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 531
5- 2015 (2) आर.आर.टी. पेज 1445
6- 2016 (2) आर.आर.टी. पेज 1084
7- 2017 (1) आर.आर.टी. पेज 491

बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने गलत वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य गलत है। जागीर रिजम्पशन के समय एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागु होने के समय से एव उसके पश्चात से वादग्रस्त

क्रमशः पेज नम्बर -07 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आराजी भूमि पर केसा, समना, हेमा पुत्र भेरा कौम राव का खातेदार खुदकाश्त के रूप मे इनका कब्जा काश्त था। जो कब्जा इनका तब से लगातार आज दिन तक चला आ रहा है। जिनसे इनको खातेदारी हक अधिकार प्राप्त होकर राजस्व रिकार्ड मे उक्त खतौनी जमाबन्दी मे भी इन्हें खुदकाश्त सा देह खातेदार सही रूपेण दर्ज किया था। वादग्रस्त आराजी मे मनरूपसिंह का 1/4 हिस्सा था जो विकय विलेख मे गलत रूपेण वास्तविक 1/4 हिस्सा के बजाय 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिये जाने से केतागणों (प्रार्थीगणों) का 1/2 हिस्से के हक अधिकार प्राप्त नही हो जाते है। विकय विलेख दिनांक 02.6.1978 प्रारम्भ से शून्य है। राजस्व रेकर्ड मे अशुद्ध इन्द्राज नही किया गया है। राजस्व कर्मचारियों ने कोई गलती नही की है बल्कि नियमानुसार कार्य किया है। प्रार्थी पूनमसिंह का कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है। राजस्व रेकर्ड मे दर्ज इन्द्राज सही है। अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस तरह से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे नही होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे एक शपथ पत्र तथा राजस्व रेकर्ड इत्यादि दस्तावेज पेश किये। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1– 1996 आर.आर.डी. पेज 186
2– 2020 (2) आर.आर.टी. पेज 1122
3– 2013 (1) आर.आर.टी. पेज 123
4– 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 633
5– 2018 (2) आर.आर.टी. पेज 1275
6– 2006 (2) आर.आर.टी. पेज 1101
7– 2014–15 (सप्लीमेन्ट्री) आर.आर.टी. पेज 657

उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। वर्तमान में इस प्रकरण मे यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक 02.06.1978 के वादग्रस्त आराजी मे आधा हिस्सा मनरूपसिंह पुत्र भबूतसिंह से खरीद किया है जिसका म्यूटेशन संख्या 820 स्वीकृत हुआ है। जिस म्यूटेशन मे भी

क्रमशः पेज नम्बर –08 पर

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) रानी

पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर कब्जा खरीददार अर्थात प्रार्थीगण का है। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख में भी प्रार्थीगण को कब्जा सुपूर्द करने व क्रेतागण अर्थात प्रार्थीगण के द्वारा कब्जा प्राप्त करने का उल्लेख है। उक्त विक्रय विलेख 44 वर्ष पुराना है तथा अप्रार्थीगण के द्वारा इसे किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी गई है। विक्रय विलेख के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मनरूपसिंह पुत्र भवूतसिंह ने अपना सम्पूर्ण आधा हिस्सा प्रार्थीगण को बेचान किया है। अप्रार्थीगण का यह तर्क कि मनरूपसिंह ने अपना 1/4 हिस्सा ही बेचान किया है मानने योग्य प्रतीत नही होता है क्योकि मनरूपसिंह ने अपना 1/4 हिस्सा ही बेचान किया होता तो उसका शेष 1/4 हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे अवश्य रहता है लेकिन ऐसा नही है। संवत 2009 से 2028 की खतौनी बन्दोबस्त मे भी अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन के किसी हिस्से का उल्लेख नही है, न ही इसके पश्चात बनी जमाबन्दियों मे भी अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का कोई हिस्सा कभी भी दर्ज नही रहा है। इस तरह से अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का कोई हिस्सा वादग्रस्त आराजी मे कभी भी राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही रहा है मात्र नाम चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या पांच से सात ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त तथ्यों को स्वीकार किया है तथा प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त माना है। प्रार्थीगण का वाद विचाराधीन है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के हक अधिकार तय होगे। विभिन्न राजस्व न्यायालयों के निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किये गये है कि वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना न्यायालय का कर्तव्य है। अधिकारों की सुरक्षा व भूमि को सुरक्षित रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है। इसी तरह से विक्रय पत्र मे यह वर्णित की कब्जा क्रेता को प्रदान कर दिया गया है तब क्रेता का कब्जा होने की उपधारणा की जायेगी। इसी तरह से सहखातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है यदि आवश्यक तीनों अवयव मौजुद है। इस प्रकार से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा-काश्त है। प्रार्थीगण ने तत्समय के खातेदार मनरूपसिंह पुत्र भबूतसिह से उनका वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से दिनांक 02.06.1978 को खरीद किया है। जो दस्तावेज 44 वर्ष पुराना है। जिसे अप्रार्थीगण ने

क्रमशः पेज नम्बर -09 पर

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी है। वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार अप्रार्थीगण सख्या पांच से सात ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे वर्णित समस्त तथ्यों को स्वीकार किया है। इस कारण से प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना साबित है। इसी प्रकार से प्रकरण का सुविधा का सतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण आराजी का रिकार्डेड खातेदार व काबिज है। प्रार्थीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा खरीद किया है। अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन का नाम जमाबन्दी मे गलत इन्द्राज है अथवा नही, अप्रार्थी सख्या एक से तीन का उक्त वादग्रस्त आराजी में हक अधिकार है अथवा नही यह तथ्य मूल वाद में तय होगा किन्तु मूल वाद के निर्णय में अभी समय लगेगा ऐसे मे यदि अप्रार्थी संख्या एक से तीन अपने सहखातेदार होने का गलत फायदा लेते है और वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, व्ययन हस्तान्तरण करते है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी। इसी तरह से अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है क्योंकि दौराने वाद अप्रार्थीगण सख्या एक से तीन अपना नाम जमाबन्दी मे गलत इन्द्राज होने का गलत फायदा लेते है और वादग्रस्त आराजी का बेचान, हस्तान्तरण करते है तो वाद बाहुल्यता बढेगी और प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा मे नही किया जा सकता है। इस तरह से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 212 राज. काश्त. अधि. का विरूद्ध अप्रार्थी संख्या एक से तीन के स्वीकार किया जाता है मौजा ग्राम-चांचौडी, पटवार हल्का-चांचौडी, तहसील-रानी, जिला-पाली (राज.) के खसरा नम्बर-95 रकबा 10 बिस्वा (0.0809 हेक्टेयर) किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 96 रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा (7.8553 हेक्टेयर) किस्म चाही दौयम मे प्रार्थीगण के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि के कब्जे-काश्त, उपयोग-उपभोग में अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन किसी भी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, अवरोध इत्यादि उत्पन्न नहीं करे और नहीं उक्त कृत्य अपने एजेन्ट, नौकर, रिश्तेदार इत्यादि से करावे तथा वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन, व्ययन या अन्य हस्तांतरण अप्रार्थीगण सख्या एक से तीन नहीं करे अर्थात मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई

क्रमशः पेज नम्बर -10 पर

निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन को पाबन्द किया जाता है।

26/04/22

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर, रानी

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक— 26-04-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल वाद के सलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी एवम्
सहायक कलेक्टर, रानी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) रानी